न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 127/2017

प्रेमकुमार पुत्र सोहनलाल जाति मोची निवासी 3 डी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति मोची निवासी 3 डी.डी. हाल मकान नं. 95 कुन्चा नं. 13 फील्डगंज लुधियाना पंजाब।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति मोची निवासी कनिष्ठ लेखाकार उपकोष कार्यालय नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. विमला देवी पत्नी अशोक कुमार सोलंकी जाति मोची निवासी मकान नं. 811 एस.बी.बी.जे. बैंक के पीछे श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कृष्णलाल
5. लालचन्द

पिसरान सोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं. 16 ओम कॉलोनी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

6. स्टेट आफ राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 26.07.2017

उपस्थितिः—

श्री विनीत कुमार त्यागी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 3
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया विमला देवी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 183 का पेश कर चक 3 डी.डी. के मुनं. 28 प.नं. 182/11 के कि.नं. 1 से 25 की 6.0100है0 भूमि का बंटवारा करने एवं वादीया के 1/6 हिस्से से प्रतिवादी नं. 1 से 5 को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया।

19/6/18
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित पांच वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 08.05.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन के प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदार से मंगवाने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 26.07.2017 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील मीमों की मुख्य आपत्ति अनुसार विवादित भूमि के कि.नं. 11 की भूमि अपीलांट एवं रेस्पों. को दी गई है जो दिया जाना सम्भव नहीं है। दोनों ही पक्षकार उक्त विसंगति को दूर करने के लिए प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर